

# ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान: एक विश्लेषणात्मक

## अध्ययन

डॉ. गौरव त्रिपाठी

असिस्टेंट प्रोफेसर - राजनीति विज्ञान

राजकीय पी जी कालेज, मुसाफिरखाना-अमेठी

### सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकांश ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है इसलिए कृषि का विकास सीधे तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है यद्यपि समय के साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटा है फिर भी रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व आज भी अत्यधिक है

ग्रामीण विकास का आशय ग्रामीण लोगों की जीवन स्तर में समग्र सुधार से है जिसमें आय, रोजगार, शिक्षा, और आधारभूत सुविधाओं का विकास शामिल है कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा गरीबी में कमी आती है

हालांकि कृषि क्षेत्र को परंपरागत खेती संसाधनों की कमी निम्न उत्पादकता जलवायु परिवर्तन और भंडारण सुविधाओं के अभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं

अतः स्पष्ट है कि कृषि का सुदृढ़ विकास ही ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति और समग्र ग्रामीण विकास का आधार है

**मुख्य शब्द-** ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि(PM-KISAN), न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान उत्पादक संगठन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां की लगभग 60% जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि की चहुंमुखी प्रगति से सीधे तौर पर ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या वर्तमान में भी शहरी आबादी की तुलना में कहीं अधिक है वर्ष 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक अनुमान के अनुसार लगभग 85 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।<sup>1</sup> इनमें से अधिकांश अपनी आजीविका के लिए कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है निकट भविष्य में भी इस स्थिति में बहुत अधिक बदलाव की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इसके उलट कोरोना काल में शहरो से बड़ी संख्या में लोगों का गांव की ओर पलायन होने से यह अनुपात और ज्यादा भी हो सकता है।

हालांकि समय के साथ कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में योगदान निरंतर कम हुआ है लेकिन कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत श्रम शक्ति के अनुपात में अभी भी कोई कमी नहीं दृष्टिगोचर हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 51.9% था घटकर 2020-21 में 19.9% पर पहुंच गया वहीं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत श्रम शक्ति का अनुपात 69% से घटकर 39.4% पर ही पहुंच पाया है।<sup>2</sup> इस तथ्य से समूचे देश की अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र पर निर्भरता का आभास होता है यहां पर गौरतलब है कि कोरोना काल में जहां अन्य सेक्टर में विकास दर अत्यंत नीचे थी वहीं कृषि और संबद्ध क्षेत्र में यह 3.4% के स्तर पर बनी रही यह देश में कृषि क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करता है।<sup>3</sup>

ग्रामीण विकास का आशय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार से है जिसमें आय वृद्धि, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक समानता तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता

जैसे विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। कृषि इन सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है जब कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती है ,तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं किसानों की आय में वृद्धि होती है तथा गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है।

वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों ,उन्नत बीजों , सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों, तथा कृषि यंत्रिकरण के प्रयोग से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कृषि आधारित उद्योगों डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन तथा बागवानी जैसी गतिविधियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है जिससे समग्र ग्रामीण विकास को गति मिलती है।

हालांकि आज कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा हैजोकि निम्नलिखित हैं -

1 परंपरागत कृषि-, भारत में अधिकांश ग्रामीण आबादी की आय का मूल स्रोत कृषि एवं इससे संबद्ध व्यवसाय है इससे स्पष्ट है कि बिना कृषि उन्नति के लोगों की आय में वृद्धि संभव नहीं है लकीर के फकीर बन रहे बने रहने वाले किसानों की गरीबी का भी संभवत यही कारण बताया जा सकता है जिसमें कि वे परंपरागत कृषि को त्याग कर वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई तकनीकों और फसल पैटर्न को अपने को आसानी से तैयार नहीं होते।

2-संसाधनों का अभाव-अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जल सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, ऋण एवं उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार सुविधाओं इत्यादि का अभाव बना हुआ है।सीमित संसाधनों के बल पर किए गए विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थितियों में बहुत बदलाव नहीं हो रहा है। सिंचाई के साधनों की कमी और मानसून पर निर्भरता के कारण अधिकांश किसान ज्यादा जोखिम उठाने से डरते हैं और आधुनिक कृषि पद्धति को अपने से बचते हैं।

3-निम्न कृषि उत्पादकता-यद्यपि भारत सरकार द्वारा निरंतर कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है परंतु फिर भी यह कटु सत्य है कि विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में भारत में कई महत्वपूर्ण फसलों और कृषि

उत्पादों की औसत उत्पादकता काफी कम है, समय रहते इसमें बढ़ोतरी करना जरूरी है ताकि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

4-जलवायु परिवर्तन-वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कृषि ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के कारण फसल उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी आ सकती है। इसी कारण से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल प्रणालियों और तकनीक के विकास पर बल दिया जा रहा है ताकि फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को काम किया जा सके अन्यथा मानव आबादी के लिए निकट भविष्य में खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है।

5-जल की कमी- कृषि क्षेत्र जल का सर्वाधिक उपयोग करता है बढ़ते जल संकट की वजह से जल का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाली फसलों जैसे धान शुगरकेन आदि का अस्तित्व संकट में आ सकता है। वैज्ञानिक कम से कम जल के प्रयोग से उत्पादन की नई विधियों और ऐसी ही उपयुक्त किस्मों के विकास पर निरंतर कार्यरत हैं।

6-भंडारण और परिवहन सुविधाओं का अभाव- प्रायः यह देखने में आता है कि बंपर फसल उत्पादन की स्थिति में कृषकों को मजबूर इतनी कम कीमत पर अपनी फसलों को बेचना पड़ जाता है कि उनकी लागत तक नहीं निकाल पाती ऐसा कोल्ड स्टोरेज सुविधा तथा बाजारों तक उत्पादों को पहुंचाने की समुचित व्यवस्था के अभाव में होता है।

इसके अतिरिक्त भी कई अन्य कारण हैं जिसे कृषि उत्पादन और कृषकों की आमदनी बाधित होती है इनमें संस्थागत स्तर पर ऋण सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था, विक्रय हेतु बड़े बाजारों का स्थानीय स्तर पर प्रायः अभाव, समय पर कृषि आगतों की अनुपलब्धता, कृषि श्रमिकों का नगरों की ओर पलायन, वैज्ञानिक कृषि के

तौर तरीकों के प्रति प्राय उदासीनता, कृषि मशीनीकरण में पिछड़ापन आदि का प्रमुख तौर पर उल्लेख किया जा सकता है।

कृषकों की आय में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास-

कृषि विकास से ही ग्रामीण भारत की खुशहाली का रास्ता निकलता है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लिया गया है ताकि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके।

इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं और नीतिगत कदम उठाए गए हैं इन प्रयासों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है -

1-प्रत्यक्ष आयसहायता-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि(PM-KISAN) इस योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रतिवर्ष ₹6000 की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है जिससे खेती के खर्चों में मदद मिलती है इस योजना से करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं।<sup>4</sup>

2-न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) में वृद्धि -सरकार ने प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का काम से कम डेढ़ गुना निर्धारित किया है जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

3-फसल बीमा योजना-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है जिससे उनकी आय में स्थिरता बनी रहती है

4-सिंचाई सुविधाओं का विस्तार-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(PMKSY) सूक्ष्म सिंचाई जिसके अंतर्गत ड्रिप, स्पिंकलर को बढ़ावा देकर" हर खेत को पानी"का लक्ष्य रखा गया है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो और लागत में कमी आये।

5-कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड- सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की सीमा को बढ़ाकर लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है तथा किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन तथा मत्स्य पालन तक विस्तारित कर दिया है।<sup>5</sup>

6-किसान उत्पादक संगठन(FPO)-

किसानों को संगठित कर बाजार में किसानों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए 10000 नए एफपीओ(FPO) बनाने की योजना शुरू की गई है जिससे बेहतर विपणन और आय के अवसर मिलते हैं।<sup>6</sup>

7-मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना-मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को अपनी भूमि की उर्वरक शक्ति की जानकारी दी गई है ताकि उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर उत्पादन लागत को कम कर सके।

8-कृषि का विविधीकरण-सरकार ने पशुपालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती, आदि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है ताकि किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत प्राप्त हो सके।

किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के साथ-साथ कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है जोकि अधोलिखित है-

कृषि का आधुनिकीकरण-कृषि में आधुनिक तकनीकों, मशीनों, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि की जा सके।

2-सिंचाई सुविधाओं का विस्तार-अभी भी कई क्षेत्र सिंचाई के लिए पूरी तरह से वर्षा के जल पर निर्भर हैं इसलिए सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

3-कृषि का विविधीकरण-किसानों को केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर न रहकर बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि आय के अतिरिक्त स्रोत मिल सके।

4-बेहतर विपणन व्यवस्था-किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए कृषि मंडियों का सुधार, ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार और बिचौलियों की भूमिका कम की जानी चाहिए।

भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं -कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित किए जाने चाहिए ताकि फसल खराब न हो और किसानों को अधिक लाभ मिल सके  
कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण-किसानों को नई तकनीको, उन्नत खेती और बाजार की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।  
सस्ती ऋण और बीमा सुविधा-कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण ,प्रभावी फसल बीमा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि आर्थिक जोखिम कम हो सके।

### संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. विश्व बैंक। *वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स: रूरल पॉपुलेशन – इंडिया*। वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक, 2019, पृ. 1-3।
2. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। *नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स 2021*। नई दिल्ली: एमओएसपीआई (MOSPI), 2021, पृ. 115-118।
3. भारत सरकार। *इकोनॉमिक सर्वे 2020-21*, खंड-2। नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, 2021, पृ. 210-215।
4. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना दिशा-निर्देश*। नई दिल्ली, 2020, पृ. 5-7।
5. भारतीय रिजर्व बैंक। *हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनमी 2021*। मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक, 2021, पृ. 136-140।
6. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। *10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन की योजना*। नई दिल्ली, 2020, पृ. 8-12।